

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF EDUCATION  
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY**

**LOK SABHA**

**STARRED QUESTION NO. 12  
TO BE ANSWERED ON 18.07.2022**

**ADMISSION IN KENDRIYA VIDYALAYAS  
AGAINST ABOLISHED QUOTA**

**\*12. SHRI L.S. TEJASVI SURYA:**

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

- (a) the number of seats freed up in Kendriya Vidyalayas by the cancellation of the MP quota and other quotas in 2022;
- (b) the number of children who have taken admission in Kendriya Vidyalayas under the PM Cares for Children Scheme, State-wise;
- (c) the number of seats which have been left vacant under the above scheme; and
- (d) whether the Government is considering a different scheme for allotting such Kendriya Vidyalaya seats to vulnerable populations in the subsequent academic years and if so, the details thereof?

**ANSWER  
MINISTER OF EDUCATION  
(SHRI DHARMENDRA PRADHAN)**

- (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

\*\*\*\*\*

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF THE LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 12 RAISED BY SHRI L.S. TEJASVI SURYA, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT TO BE ANSWERED ON 18/07/2022 REGARDING ADMISSION IN KENDRIYA VIDYALAYAS AGAINST ABOLISHED QUOTA.**

(a) Every organization keeps revisiting its procedures and policies in order to bring qualitative changes in the system. Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has withdrawn some of the provisions that were discretionary such as quota of Hon'ble Minister of Education, Hon'ble Members of Parliament, Chairman, Vidyalaya Management Committee, Sponsoring Authority, etc. These quotas were over and above the sanctioned class strength and hence no seats have been freed. This will lead to maintaining a healthy pupil-teacher ratio (PTR) and also to achieve desired learning outcomes.

(b) 220 children admitted in Kendriya Vidyalayas (KVs) under the PM Cares for Children Scheme. State/UT-wise details are annexed.

(c) PM Cares for Children Scheme provides to ensure comprehensive care and protection of children who have lost their parent(s) to COVID pandemic, in a sustained manner, enable their wellbeing through health insurance, empower them through education and equip them for self-sufficient existence with financial support on reaching 23 years of age. Accordingly, special provisions have been made in the KVS admission guidelines 2022-23 for admissions to the children who have lost their parent(s) to COVID pandemic, over and above the sanctioned class strength.

(d) KVs have a distinct character and are established to cater to educational needs of the wards of transferable Central Government Employees including Defence & Para-Military personnel, Central Autonomous Bodies, Central Public Sector Undertakings (PSUs) and Central Institute of Higher Learning (IHL) by providing a common programme of education throughout the country. KVS has been providing education to children of marginalized communities, disadvantageous sections of society and economically weaker sections by giving 25% reservation in admission in Class-I. In addition, reservation as per constitutional provisions to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non Creamy Layer) and seats are also horizontally reserved for Differently Abled-children at entry stage. 2 seats per section are also reserved for single girl child in Class I.

\*\*\*\*\*

**ANNEXURE**

**ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) OF THE LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 12 RAISED BY SHRI L.S. TEJASVI SURYA, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT TO BE ANSWERED ON 18/07/2022 REGARDING ADMISSION IN KENDRIYA VIDYALAYAS AGAINST ABOLISHED QUOTA.**

**STATE/UT-WISE DETAILS OF CHILDREN ADMITTED IN KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER PM CARES CHILDREN SCHEME**

<b>Sr.</b>	<b>Name of State/ UT</b>	<b>Children admitted in KVs under PM Cares children scheme</b>
1	Andhra Pradesh	13
2	Bihar	06
3	Chandigarh	02
4	Chhattisgarh	01
5	Delhi	13
6	Gujarat	04
7	Haryana	02
8	Jharkhand	08
9	Karnataka	16
10	Madhya Pradesh	68
11	Maharashtra	09
12	Manipur	01
13	Odisha	15
14	Puducherry	03
15	Punjab	01
16	Rajasthan	11
17	Tamil Nadu	12
18	Telangana	10
19	Uttar Pradesh	17
20	Uttarakhand	05
21	West Bengal	03
<b>TOTAL</b>		<b>220</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या : 12  
उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

समाप्त कोटा के एवज में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

+\* 12. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2022 में सांसद कोटा एवं अन्य कोटे रद्द किए जाने से केन्द्रीय विद्यालयों में कितनी सीटें निर्मुक्त हो गई हैं;
- (ख) पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालयों में राज्य-वार कितने बच्चों ने प्रवेश लिया है;
- (ग) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कितनी सीटें रिक्त रह गई हैं; और
- (घ) क्या सरकार आगामी शैक्षणिक वर्षों में कमजोर स्थिति वाले लोगों को केन्द्रीय विद्यालय की ऐसी रिक्त सीटें आवंटित करने हेतु किसी भिन्न योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
शिक्षा मंत्री  
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

‘समाप्त कोटा के एवज में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) प्रत्येक संस्थान अपनी प्रणाली में गुणवत्तापरक परिवर्तन लाने के लिए अपनी प्रक्रियाओं एवं नीतियों की समीक्षा करता रहता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने उन कुछ प्रावधानों को वापस लिया है जो विवेकाधीन थे, जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय संसद सदस्य, अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रायोजक प्राधिकरण आदि का कोटा। ये कोटे स्वीकृत कक्षा संख्या से अधिक थे और इस प्रकार कोई भी सीट निर्मुक्त नहीं की गई है। यह कदम एक अच्छा छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) को बनाए रखने और वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति की ओर ले जाएगा।

(ख) पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत केंद्रीय विद्यालयों (के.वि.) में 220 बच्चों को दाखिला दिया गया। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न हैं।

(ग) पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में कोविड महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की व्यापक निरंतर देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने और 23 वर्ष का होने पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ आत्मनिर्भर जीवन के लिए तैयार करने का प्रावधान है। तदनुसार, के.वि.सं. प्रवेश दिशा-निर्देश 2022-23 में स्वीकृत कक्षा संख्या से ऊपर उन बच्चों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिन्होंने कोविड महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया है।

(घ) के.वि का स्वरूप विशिष्ट होता है और इनकी स्थापना देश भर में शिक्षा का समान कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा और अर्द्धसैनिक बलों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थान (आईएचएल) सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। के.वि.सं. अपवंचित समुदायों और समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को कक्षा- I में प्रवेश में 25% सीटों का आरक्षण देकर शिक्षा प्रदान करता रहा है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण और प्रवेश स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए समस्तरीय रूप से सीटें भी आरक्षित हैं। कक्षा-I में एकल बालिका के लिए प्रति सेक्शन 02 सीट भी आरक्षित हैं।

\*\*\*\*\*

‘समाप्त कोटा के एवज में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या12 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना के तहत केन्द्रीय विद्यालयों में भर्ती बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना के तहत केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिल किए गए बच्चे
1	आंध्र प्रदेश	13
2	बिहार	06
3	चंडीगढ़	02
4	छत्तीसगढ़	01
5	दिल्ली	13
6	गुजरात	04
7	हरियाणा	02
8	झारखंड	08
9	कर्नाटक	16
10	मध्य प्रदेश	68
11	महाराष्ट्र	09
12	मणिपुर	01
13	उड़ीसा	15
14	पुदुचेरी	03
15	पंजाब	01
16	राजस्थान	11
17	तमिलनाडु	12
18	तेलंगाना	10
19	उत्तर प्रदेश	17
20	उत्तराखंड	05
21	पश्चिम बंगाल	03
<b>कुल</b>		<b>220</b>

\*\*\*\*\*